



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

MoD
31/7/97

सं. 395]
No. 395]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 14, 1997/आषाढ़ 23, 1919
NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 1997/ASADHA 23, 1919

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1997

का. आ. 496 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत व अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 11 अक्टूबर, 1986 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का आ. 3513, तारीख 19 सितंबर, 1986 का निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ (1) की क्रम सं. 1 के सामने, "मुख्य परियोजना प्रबंधक" प्रविष्टि के स्थान "ज्येष्ठ प्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन), बैरास्यूल जल विद्युत परियोजना, सुरंगानी, जिला चम्बा (हिमाचल प्रदेश)" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं 16/16/97-डी ओ (एनएचपीसी)]

शैलेश, उप-सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 1997

S.O. 496 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of unauthorised occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India, in the Ministry of Energy, No S O 3513 dated the 19th September, 1986, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 11th October, 1986.

In the said notification, in column (1) of the Table against serial number 1 for the entry "Chief Project Manager, Baira Siul HE Project, Surangani, Distt Chamba (Himachal Pradesh)" the entry "Senior Manager (Personnel and Administration), Baira Siul HE Project, Surangani, Distt Chamba (Himachal Pradesh)" shall be substituted

[F No 16/16/97-DO (NHPC)]

SAILESH, Dy Secy.

